

न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), फरेन्दा, जनपद महाराजगंज

वाद संख्या- 106/ 2019

हसीरुनिशा बनाम कोदई आदि

दिनांक- 05- 09- 2022

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर सुनवाई हेतु बार- बार पुकार करायी गयी, वादी व प्रतिवादी अनुपस्थित। उभयपक्ष की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है एवं न ही वादी अधिवक्ता द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु लन्चबाद पेश हो।

लन्चबाद

पत्रावली लन्चबाद पेश हुई। पुकारी करायी गयी, किन्तु वादी एवं प्रतिवादीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है एवं न ही उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा कोई स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया है। विगत तिथि पर अंतिम अवसर दिया जा चुका है, परन्तु आज कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 सी. पी. सी. में खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

वाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति में अन्तर्गत आदेश 9 नियम 3 सी. पी. सी. खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(देवेश त्रिपाठी)

सिविल जज(अवर खण्ड), फरेन्दा

जनपद महाराजगंज